

28/07/23

पत्रावली पैरा जुड़। वकील परामारान उपस्थित।
बहस सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपस्थित
दस्तावेज व बिधि के सुयोग्य प्रावधानों का
अवलोकन किया गया। बहस पर नमून किया गया।
प्रा. पत्र साक्षित ना होने पर स्थापित किया जाता है।
विसृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर टेबुल
व्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार
हो दर्ज नंतर से कम होकर पश्चित दफतर हो।




उपरवण्ड अधिकारी
सांभर लेक ✓